

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1)(ख) के
स्वतः प्रकटीकरण
के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार सहकारी
निर्वाचन प्राधिकरण
का मैनुअल



22 सितम्बर, 2026 तक अद्यावधिक

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य (धारा 4(1)(ख)(i))

संगठन का नाम— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड। यह प्राधिकरण उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक चुनावों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है।

स्थान— देहरादून, उत्तराखण्ड। प्राधिकरण का कार्यालय 3/30 शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड देहरादून में स्थित है, जिससे यह राज्य भर में अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सके और हितधारकों के लिए सुलभ हो।

कृत्य और कर्तव्य— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता, दुग्ध, मत्स्य, रेशम, पशुपालन एवं गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सहकारी समितियों के निष्पक्ष और समयबद्ध पारदर्शिता से निर्वाचन कराना है। उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सहकारी समितियों के बहिर्गामी बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते ही नव-निर्वाचित सदस्य सुचारु रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें।

अन्य विशिष्टियाँ—

गठन— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन भारत के संविधान के 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप, वर्ष 2013 में किया गया। यह संशोधन सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया।

गठन शासनादेश— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 571/XIV-1/2013-9(2)/2013 दिनांक 22 मार्च, 2013 के माध्यम से किया गया था। यह शासनादेश भारत का संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुच्छेद 243 के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 सफलतापूर्वक पारित होने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। यह कानूनी और संवैधानिक आधार प्राधिकरण के कार्यों की वैधता और अधिकार को स्थापित करता है।

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का संरचनात्मक ढाँचा –

क्र. सं.	सृजित पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	भरे पद	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अध्यक्ष (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	01	01	—	
2	सदस्य	03	02	—	02 सदस्य एवं 01 सदस्य / सचिव
3	सचिव (उप निबंधक)	01	01	—	
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर / कनिष्ठ सहायक	01	01	—	
5	चालक	01	—	01	
6	सहयोगी	01	01	—	

2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य (धारा 4(1)(ख)(ii))

अध्यक्ष— श्री हंसा दत्त पांडे (पूर्व आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तराखंड, काशीपुर)।

शक्तियाँ और कर्तव्य— अध्यक्ष प्राधिकरण के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए समग्र पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। वे नीतिगत निर्णयों को अंतिम रूप देने, महत्वपूर्ण शासकीय आदेश और निर्देश जारी करने, तथा प्राधिकरण की ओर से सभी कानूनी और प्रशासनिक मामलों के निर्णय लेने हेतु सक्षम हैं। अध्यक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के दायरे में हो।

सदस्य— श्री आनन्द ए0डी0 शुक्ल (अपर निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखंड)।

शक्तियाँ और कर्तव्य— सदस्य द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों में अध्यक्ष को सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाता है। वे प्राधिकरण पीठ की बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी करते हैं और विभिन्न संबंधित सरकारी विभागों, विशेषकर सहकारी समितियों से समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनका अनुभव और विशेषज्ञता प्राधिकरण के प्रभावी संचालन में योगदान करते हैं।

सदस्य— श्री मान सिंह सैनी (सेवानिवृत्त उप निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखंड)।

शक्तियाँ और कर्तव्य— सदस्य, निर्वाचन प्रक्रिया और उससे संबंधित कानूनी एवं प्रशासनिक मामलों पर अपनी विशेषज्ञ सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि प्राधिकरण के निर्णय व्यापक अनुभव और विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित हों। वे प्राधिकरण की बैठकों में नियमित रूप से भागीदारी कर महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं।

सदस्य सचिव— श्री एम0पी0 त्रिपाठी (संयुक्त निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखंड)।

शक्तियाँ और कर्तव्य— सदस्य सचिव प्राधिकरण के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की मुख्य प्रबंधक हैं। उनके कर्तव्यों में निर्वाचन अधिसूचनाएँ और कार्यक्रम जारी करना, सभी आधिकारिक पत्राचार का संचालन

करना, प्राधिकरण की बैठकों का कुशलतापूर्वक आयोजन करना और सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करना शामिल है। वे प्राधिकरण के सुचारु कामकाज के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

3. निर्णय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं (धारा 4(1)(ख)(iii))

निर्णय प्रक्रिया— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में सभी निर्णय पूरी तरह से सुस्थापित कानूनी ढाँचे के भीतर लिए जाते हैं। ये निर्णय मुख्य रूप से उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 और सहपठित नियमावली 2004 (यथा संशोधित) एवं उत्तराखण्ड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 (यथा संशोधित) के प्रावधानों पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किए गए विशिष्ट निर्देश/अधिसूचनाएँ, और माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश भी निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग होते हैं। प्राधिकरण में, सभी महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष और तीन सदस्यों की पीठ द्वारा सामूहिक रूप से बहुमत के सिद्धांत पर लिए जाते हैं।

पर्यवेक्षण— प्राधिकरण में पर्यवेक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है। समग्र पर्यवेक्षण का कार्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यों पर नजर रखते हैं। इसमें सदस्यों का सक्रिय परामर्श और उनकी भागीदारी शामिल होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी स्तरों पर उचित पारदर्शिता बनी रहे।

उत्तरदायित्व— प्राधिकरण में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली है। प्रत्येक निर्णय को विधिवत रूप से प्रलेखित किया जाता है, जिसमें विस्तृत फाइल नोटिंग, बैठकों के आधिकारिक कार्यवृत्त, और जारी किए गए आधिकारिक आदेश/अधिसूचनाएँ शामिल होती हैं। यह व्यापक दस्तावेजीकरण यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके और भविष्य में संदर्भ के लिए एक पारदर्शी रिकॉर्ड उपलब्ध रहे।

4. अपने कार्यों के निर्वाह के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड (धारा 4(1)(इ)(अ))

सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा अपने कर्तव्य को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए न्यूनतम लिखित मापदण्ड और प्रक्रियाएँ स्थापित की गई हैं, जो कि उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003 सहपठित नियमावली 2004 और उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 पर आधारित हैं।

संचालन संबंधित मापदंड (परिचालन मानक)

गठन का आधार— प्राधिकरण का गठन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम और उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के आधार पर किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के चुनाव को लोकतांत्रिक और निष्पक्ष रूप से करना है।

निर्वाचन की समय-सीमा— यह मापदण्ड है कि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

सूचना देने की प्रक्रिया— समिति के सचिव या प्रबंध निदेशक का ये कर्तव्य है कि वह प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा होने से 4 माह पूर्व सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक के माध्यम से सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को लिखित रूप में सूचना दिये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय मापदंड (वित्तीय मानक)

प्राधिकरण के संचालन से संबंधित व्यय, सहकारिता विभाग के लिए निर्धारित अनुदान संख्या-18 से पूरे किए जाते हैं।

जन सुविधा मापदण्ड (लोक सेवा मानक)

वेबसाइट पर जानकारी— चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख (धारा 4(1)(ख)(v))

मुख्य नियम और विनियम— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अपने कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न कानूनी और नियामक ढाँचों का उपयोग करता है। ये नियम और विनियम प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करते हैं, जो निम्न हैं—

- भारतीय संविधान का 97वां संविधान संशोधन, जो सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक और प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है।

- उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 और सहपठित नियमावली 2004, (यथा संशोधित), प्राधिकरण के लिए प्राथमिक कानूनी आधार हैं।
- उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2013), जिसने भारत के संविधान के 97वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
- उत्तराखंड सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2018 (यथा संशोधित), जो निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिये विस्तृत नियम प्रदान करती है, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, नामांकन प्रक्रिया और मतदान के नियम आदि।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जिसके तहत प्राधिकरण नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मैनुअल तैयार किया गया है।
- उत्तराखंड शासन के सहकारिता अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाएँ, जैसे कि प्रबन्ध कमेटी में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण संबंधी अधिसूचनाएँ, जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है।
- माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न कानूनी मामलों में पारित आदेश और निर्देश।
- भारतीय संविधान के अन्य प्रासंगिक प्रावधान, जो सहकारी समितियों और निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

अनुदेश और निर्देशिकाएँ— प्राधिकरण की वेबसाइट www.secuttarakhand.org.in पर समस्त अनुदेश एवं निर्देशिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अभिलेखों का उपयोग— प्राधिकरण अपने कानूनी और प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का व्यापक उपयोग करता है। इनमें निर्वाचन संबंधी पत्रावलियां, न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, आंतरिक और बाहरी प्रशासनिक पत्राचार, तथा वित्तीय रिकॉर्ड शामिल हैं। इन अभिलेखों का उचित रखरखाव पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य के संदर्भों के लिए आवश्यक भी हैं।

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण (धारा 4(1)(ख)(vi))

दस्तावेज श्रेणियाँ— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने पास रखता है या अपने नियंत्रण में रखता है, जो उसके कार्यों और निर्णयों के रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं, जो निम्न हैं—

- निर्वाचन संबंधी सभी आधिकारिक अधिसूचनाएँ और आदेश।
- निर्वाचन कार्यक्रम और उससे संबंधित सूचनाएँ।
- निर्वाचन परिणाम की आधिकारिक घोषणाएँ।
- माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं और उन पर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों से संबंधित पत्रावलियाँ।
- उत्तराखंड शासन से प्राप्त/जारी किए गए महत्वपूर्ण पत्र और अधिसूचनाएँ।
- सभी आंतरिक और बाहरी प्रशासनिक पत्राचार और सामान्य पत्रावलियाँ।
- वित्तीय अभिलेख, जिनमें बजट आवंटन, व्यय का विवरण, और लेखा—जोखा शामिल है।

अधिसूचनाएं प्राधिकरण की वेबसाइट www.secuttarakhand.org.in पर भी उपलब्ध कराई गई हैं

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं (धारा 4(1)(ख)(vii))

जनता से परामर्श/अभ्यावेदन— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण जनता के सदस्यों के साथ परामर्श और उनके अभ्यावेदनों के लिए एक सुलभ व्यवस्था बनाए रखता है। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी आपत्ति, शिकायत या महत्वपूर्ण सुझाव को प्राधिकरण के कार्यालय में विधिवत रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राधिकरण ऐसे सभी अभ्यावेदनों पर, माननीय न्यायालयों और उत्तराखंड शासन के निर्देशों के अनुसार, गंभीरता से विचार करता है और उचित कार्यवाही करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक राय और चिंताओं को महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया जा सके।

फीडबैक मैकेनिज्म— नागरिकों के लिए अपनी प्रतिक्रिया या पूछताछ दर्ज करने हेतु एक सीधा फीडबैक मैकेनिज्म उपलब्ध है। वे लैंडलाइन नंबर 0135-2974340 के माध्यम से प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण की एक समर्पित वेबसाइट www.secuttarakhand.org.in पर एक Contact Us का प्रावधान भी उपलब्ध है, जिससे जनता के लिए प्राधिकरण के साथ संवाद करना और भी सुविधाजनक हो गया है। यह तंत्र प्राधिकरण को अपने कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए जनता से सीधे इनपुट प्राप्त करने में मदद करेगा।

8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण (धारा 4(1)(ख)(viii))

मुख्य निकाय— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्वयं एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में गठित है, जिसमें एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल हैं। इस निकाय का गठन विशेष रूप से निर्वाचन संबंधी निर्णय लेने, नीतियों की संरचना में सलाह देने और सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कुशल कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से किया गया है।

बैठकें— प्राधिकरण की बैठकें, जिनमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, यह जनता के लिए खुली नहीं होती हैं। यह आंतरिक विचार-विमर्श की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत, इन बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स) का अनुरोध करने पर जनता के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं, बशर्ते कि उनमें कोई ऐसी जानकारी शामिल न हो जिसे अधिनियम के तहत खुलासा करने से छूट मिली हो। यह पारदर्शिता और कार्यप्रणाली की जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका (धारा 4(1)(ख)(ix))

नाम, पदनाम, संपर्क विवरण— यह खंड सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान और संपर्क जानकारी प्रदान करता है, जिससे जनता के लिए उनसे सीधे संपर्क करना आसान हो सके।

अध्यक्ष व पीठ के सदस्य

अध्यक्ष— श्री हंसा दत्त पांडे (दूरभाष— 0135—2974340)

सदस्य— श्री आनन्द ए0डी0 शुक्ल (दूरभाष— 9720251590)

सदस्य— श्री मान सिंह सैनी (दूरभाष— 9458949088)

सदस्य सचिव— श्री एम0पी0 त्रिपाठी (दूरभाष— 9411502898)

कार्यालय कार्मिक (सहकारिता विभाग से सम्बद्ध)

श्री अशोक चंद्र सती— अपर जिला सहकारी अधिकारी (दूरभाष— 0135—2974340)

श्री आशीष कुमार— वरिष्ठ सहायक

श्री जगपाल सिंह— कनिष्ठ सहायक

श्री विकास कुमार— सहयोगी

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो (धारा 4(1)(ख)(x))

वेतन प्रणाली— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक उत्तराखंड सरकार के स्थापित शासकीय नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इस पारिश्रमिक प्रणाली में वेतन आयोग द्वारा समय—समय पर निर्धारित वेतनमान शामिल होते हैं, साथ ही अन्य स्वीकार्य भत्ते भी दिए जाते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके पद और अनुभव के अनुसार उचित और समान पारिश्रमिक प्राप्त हो।

विशिष्ट वेतन स्केल और स्तर—

अध्यक्ष— 144200—218200 (लेवल—14)

सदस्य— 56100—177500 (लेवल—10)

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (धारा 4(1)(ख)(xi))

— वर्ष 2025—26 की बजट सारांश—

Sl- No-	Scheme Code	Object Code	Object Name	Released Amount	Expenditure	Balance
1	242500001060001	01	वेतन		23,53,588	—2353,288
2	242500001060002	02	मजदूरी	90,000	90,000	—
3	242500001060004	04	यात्रा व्यय	1430	14430	—
4	242500001060006	06	अन्य भत्ते	—	9897	—9897
5	242500001060008	08	पारिश्रमिक	4,75,568	4,75,568	
6	242500001060009	09	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	—	—	—
7	242500001060010	10	प्रशिक्षण व्यय	1,35,000	1,35,000	
8	242500001060020	20	लेखन सामग्री एवं छपाई	3,49,499	3,49,499	
9	242500001060021	21	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,23,955	1,23,955	
10	242500001060022	22	कार्यालय व्यय	1,99,999	1,99,999	
11	242500001060023	23	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	3,48,920	3,48,920	
12	242500001060024	24	विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	3,00,000	3,00,000	
13	242500001060025	25	उपयोगिता बिलों का भुगतान	—	91,443	—91,443
14	242500001060026	26	कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	1,99,200	1,99,200	
15	242500001060027	27	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,000	3,00,000	
16	242500001060029	29	गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	5,97,785	5,97,785	
17	242500001060030	30	आतिथ्य व्यय	52,619	52,619	
	242500001060040	40	मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	38,852	38,852	

वर्ष 2026-27 की बजट सारांश- (22 सितम्बर 2026 तक)

Sl- No-	Scheme Code	Object Code	Object Name	Released Amount	Expenditure	Balance
1	242500001060001	01	वेतन	-	13,25,052	13,25,052
2	242500001060002	02	मजदूरी	1,00,000	50,000	50,000
3	242500001060004	04	यात्रा व्यय	1,00,000	3,160	96,840
4	242500001060006	06	अन्य भत्ते	-	6,298	6,298
5	242500001060008	08	पारिश्रमिक		2,38,550	2,38,550
6	242500001060009	09	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,50,000	-	1,50,000
7	242500001060010	10	प्रशिक्षण व्यय	2,00,000	-	2,00,000
8	242500001060020	20	लेखन सामग्री एवं छपाई	3,50,000	94,916	2,55,084
9	242500001060021	21	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000	46,616	1,06,340
10	242500001060022	22	कार्यालय व्यय	2,00,000	97,422	1,02,0578
11	242500001060023	23	किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6,00,000	2,07,636	3,92,364
12	242500001060024	24	विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	3,00,000	2,87,422	12,578
13	242500001060025	25	उपयोगिता बिलों का भुगतान	-	33,651	-33,651
14	242500001060026	26	कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	2,00,000	-	2,00,000
15	242500001060027	27	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,00,000	3,00,000	-
16	242500001060029	29	गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	6,00,000	4,06,905	1,93,095
17	242500001060030	30	आतिथ्य व्यय	50,000	25898	24,102
18	242500001060040	40	मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	1,50,000	-	1,50,000

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं (धारा 4(1)(ख)(xii))

सहायिकी कार्यक्रम- सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का मुख्य कार्यक्षेत्र और उद्देश्य केवल उत्तराखंड राज्य में सहकारी समितियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन आयोजित करना है। इसकी संगठनात्मक संरचना और कार्यात्मक प्रकृति के कारण, प्राधिकरण सीधे तौर पर किसी भी प्रकार के सहायिकी कार्यक्रमों

(सब्सिडी स्कीम) का निष्पादन नहीं करता है। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान आवंटित नहीं किया जाता है। प्राधिकरण का सारा ध्यान और बजट निर्वाचन संबंधी गतिविधियों, प्रशासनिक कार्यों और कर्मियों के पारिश्रमिक पर केंद्रित होता है। इस प्रकार, इस धारा के तहत कोई भी जानकारी वर्तमान में लागू नहीं है।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ (धारा 4(1)(ख)(xiii))

रियायतें/परमिट/प्राधिकार— जैसा कि बिन्दु संख्या 12 में बताया गया है, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य सहकारी समितियों के निर्वाचन प्रक्रियाओं का प्रबंधन और संचालन करना है। यह एक नियामक या लाइसेंसिंग निकाय नहीं है। अपनी भूमिका की इस विशिष्ट प्रकृति के अनुसार, प्राधिकरण सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई रियायतें, अनुज्ञापत्र (लाइसेंस), या अन्य विशिष्ट प्राधिकार (परमिट) जारी या अनुदत्त नहीं करता है। यदि कोई इकाई निर्वाचन से संबंधित कार्यों के लिए प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करती है, तो वह एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है, न कि कोई रियायत या लाइसेंस।

14. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों (धारा 4(1)(ख)(xiv))

इलेक्ट्रॉनिक सूचना— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण अपने कार्यों के निष्पादन और आंतरिक संचार के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई सभी महत्वपूर्ण निर्वाचन अधिसूचनाएँ, आधिकारिक आदेश, विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की प्रतियाँ, और अन्य प्रासंगिक प्रशासनिक दस्तावेज अक्सर इलेक्ट्रॉनिक रूप में (जैसे PDF प्रारूप में) तैयार और वितरित किए जाते हैं। यह न केवल सूचना के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है बल्कि उसके तेजी से प्रसार को भी संभव बनाता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण अपने रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में बनाए रखने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि भविष्य में जानकारी तक पहुंच आसान हो सके।

पहुँच— वर्तमान में, प्राधिकरण की एक समर्पित वेबसाइट www.secuttarakhand.org.in है। यह सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जानकारी जनता के लिए आसानी से ऑनलाइन सुलभ कराए जाने, निर्वाचन कार्यक्रम, अधिसूचनाएँ, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज इस वेबसाइट पर समय-समय पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं (धारा 4(1)(ख)(xv))

सुविधाएँ— नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, वे प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को विधिवत रूप से लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आवेदन अधिनियम के तहत और शुल्क के साथ होना चाहिए। आवेदन के लिए डाक, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से अथवा पोर्टल के माध्यम से जमा करने के विकल्प उपलब्ध हैं। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी वैध RTI आवेदनों का नियत समय-सीमा के भीतर जवाब दिया जाए।

कार्यालय समय— प्राधिकरण का कार्यालय नियमित कार्यदिवसों में खुला रहता है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाने वाले सार्वजनिक अवकाशों, प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार और प्रत्येक रविवार के अलावा, नागरिक कार्यालय समय के दौरान अपनी पूछताछ या आवेदन जमा कर सकते हैं। सामान्य कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक है।

पुस्तकालय/वाचन कक्ष— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में वर्तमान में जनता के उपयोग के लिए कोई समर्पित सार्वजनिक पुस्तकालय या वाचन कक्ष अनुरक्षित नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को सीधे लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करना होगा। हालांकि, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिससे जनता घर बैठे ही अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सके।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ (धारा 4(1)(ख)(xvi))

लोक सूचना अधिकारी (PIO)—

नाम— श्री अशोक चंद्र सती

पदनाम— अपर जिला सहकारी अधिकारी

पता— सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, 3/30 शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून

दूरभाष— 9760061444

ईमेल— 12electionauthority@gmail.com

प्रथम अपील अधिकारी (First Appellate Authority & FAA)–

नाम– श्री एम0पी0 त्रिपाठी

पदनाम– सदस्य सचिव

पता– सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, 3/30 शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड, देहरादून

दूरभाष– 9411502898

ईमेल– 12electionauthority@gmail.com

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए (धारा 4(1)(ख)(xvii))

अतिरिक्त जानकारी–

निर्वाचन मार्गदर्शिका– सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका 2024 जनता के लिए उपलब्ध है। यह मार्गदर्शिका निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, नियमों और दिशा-निर्देशों पर विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह मार्गदर्शिका निर्वाचन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है।

प्रेस विज्ञप्तियां/घोषणाएं– प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं, निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणाएं और अन्य अपडेट्स प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जारी की जाती हैं। इनमें सहकारी निर्वाचन मार्गदर्शिका, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन कार्यक्रम तिथियों की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।

वेबसाइट– प्राधिकरण की एक समर्पित वेबसाइट www.secuttarakhand.org.in है। वेबसाइट के माध्यम से निर्वाचन अधिसूचनाएं, आदेश, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे जनता के लिए जानकारी तक पहुंच और अधिक सुविधाजनक हो गई है।